आरटीयू के एसोसिएट प्रोफेसर को बर्खास्त करने की मांग

■ एक छात्रा से अस्मत मांगने का मुकदमा दर्ज हुआ

कोटा, (निसं)। राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर गिरीश परमार के खिलाफ परीक्षा में पास करने की एवज में एक छात्रा से अस्मत मांगने का मुकदमा दर्ज हुआ है। इसके बाद से ही आरोपी भूमिगत हो गया है। यह पहला मामला नहीं है जब उसके खिलाफ इस तरह की बातें सामने आई हैं।

इससे पहले भी आरोपी प्रोफेसर पर कई छात्राएं इस तरह से परेशान करने का आरोप लगा चुकी हैं। साथ ही विश्वविद्यालय प्रबंधन को भी हर बार उसकी हरकतों से अवगत कराया गया बावजूद इसके आरोपी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। यहां तक की अंडर गारमेंट्स चोरी के मामले में भी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोपी गिरीश परमार छात्राओं को अपने चंगुल में फंसाने के लिए कई तरह की ट्रिक अपनाता था। यह खुद ही एक फर्जी पेपर बनाकर बच्चों के बीच सर्कुलेट करवा देता। जिसमें पूरा प्रश्नपत्र हूबहू आने की जानकारी देता था लेकिन बाद में ऐसा होता नहीं था और अधिकांश विद्यार्थी पूरा प्रश्नपत्र करने से चूक जाते थे। जिसके चलते उनके अच्छे नंबर भी नहीं आ पाते थे तो कई विद्यार्थी फेल तक हो जाते थे। जिसका फायदा उठाकर आरोपी छात्राओं के साथ ऐसी हरकतें करता था।

2003 में भी आरोपी के खिलाफ एक कश्मीरी छात्रा ने उसे परेशान करने का आरोप लगाते हुए तत्कालीन वाइस चांसलर से शिकायत की थी। उसकी शिकायत को बाद में रफा-दफा कर दिया गया।

साथ ही उसे तीन सालों तक फेल किया जाता रहा। यहां तक की शिकायत करने वाली छात्रा का भी यही कहना है कि परमार छात्राओं को चैलेंज कर फेल करता है। आरोपी प्रोफेसर की 1999 में नियुक्ति हुई थी।

इसके बाद से ही उसके खिलाफ लगातार शिकायतें आती रही लेकिन अभी तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। विश्वविद्यालय की ही एक अन्य शिक्षिका से बदतमीजी करने पर उसके पति ने आरोपी की जमकर पिटाई भी की थी।दूसरी तरफ इस मामले में भाजपा के पार्षद सुरेंद्र राठौड़ और नेता चेतन नागर के नेतृत्व में बुधवार को एक प्रतिनिधिमंडल जिला कलेक्टर ओपी बुनकर से मिला। जहां उनसे गिरीश परमार को अविलंब निलंबित करने की मांग की गई।

हाड़ौती संयुक्त छात्र संगठन ने भी आरटीयू के बाहर प्रदर्शन कर आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया। इसके साथ ही संगठन संयोजक नागेंद्र सिंह राणावत व अन्य छात्रों ने कुलपति को ज्ञापन देकर उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर निष्पक्ष जांच करने व आरोपी को निलंबित करने की मांग की है। कोटा राजकीय कन्या कला महाविद्यालय की अध्यक्ष अंजलि ने भी आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के संबंध में निर्णय लिए

कोटा, (निसं)। राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध चिकित्सालय महाराव भीमसिंह चिकित्सालय, जेके लोन चिकित्सालय, नवीन चिकित्सालय, सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सालय की आरएमआरएस की बैठक सीएडी सभागार में कार्यवाहक संभागीय आयुक्त अनुराग भार्गव की अध्यक्षता में संपन्न हुई।

बैठक में चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ विजय सरदाना, चिकित्सालयों के अधीक्षक, संबंधित विभागों के विभागाध्यक्ष, संबंधित मुख्य लेखाधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं केईडीएल के संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे। महाराव भीमसिंह चिकित्सालय एवं जेके लोन चिकित्सालय परिसर में स्मार्ट सिटी परियोजना में नवनिर्मित भवनों में नवीन विद्युत कनेक्शन के संबंध में विचार-विमर्श किया गया। केईडीएल के अधिकारियों द्वारा एमबीएस चिकित्सालय का 2.85 करोड़ रुपये एवं जेके लोन चिकित्सालय का 1.81 करोड़ रुपये के विद्युत बिल बकाया बताये गये जिसके जमा होते ही तीन दिवस में उक्त भवनों में विद्युत कनेक्शन कराने का आश्वासन दिया।

इस पर सर्वसम्मति से बकाया विद्युत बिल दोनों चिकित्सालयों के जमा कराने का निर्णण लिया गया और जिसका पुनर्भरण राजकीय बजट प्राप्त होने पर राजकीय बजट से किया जायेगा और शीघ्र नवीन भवनों में विद्युत कनेक्शन कराने के निर्देश दिये गये। एमबीएस चिकित्सालय में न्यूरोसर्जरी एवं न्यूरोलॉजी विभाग द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत एक मरीज के किये गये आपातकालीन ब्रेन एन्यूरिज्म का एंडोवैस्कुलर तकनीक से फ्लो डायवर्ट प्रोसीजर के लिये क्रय किये गये कन्ज्यूमेबल आईटम्स की राशि 9.25 लाख की कार्योत्तर स्वीकृति बाद सर्व सम्मति से प्रदान की गई। एमबीएस चिकित्सालय के मुख्य ऑपरेशन थियेटर का रखरखाव एवं मरम्मत कराने के लिए 6.33 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की गई।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक: LU2012/KOT/2022-23/100472 **लोक सूचना** दि.21.12.2022

श्री MUKESH KUMAR SUMAN पुत्र श्री RAMESHWAR PRASAD SAINI जाति MALI निवासी NEAR GANESH TEMPLE, SAINI FLOOR MILL KALA TALAB, ARJUNPURA KOTA, RAJ. ने इस कार्यालय मे नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	रंग तालाब उर्फ काला तालाब, लाडपुरा (कोटा)	1. MAHAVEER PRASAD S/O SURAJ MAL MALI, SA.DEH KHATEDAR 2. MADHO LAL S/O SURAJ MAL MALI SA.DEH.KHATEDAR	832/571	2072	0.2072
2.	रंग तालाब उर्फ काला तालाब, लाडपुरा (कोटा)	1. MAHAVEER PRASAD S/O SURAJ MAL MALI, SA.DEH KHATEDAR 2. MADHO LAL S/O SURAJ MAL MALI SA.DEH.KHATEDAR	572	9600	0.96
				कुल	1.1672

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियो को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारो के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव मे यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 21/12/2022 को जारी की गयी। **प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, कोटा**

कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक:-451 **नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना** दिनांक:-21.12.22

नगर विकास न्यास कोटा की योजना विश्वकर्मा नगर ऑटोमोबाईल विस्तार योजना में भूखंड संख्या 170 मै. फ्रेन्डस ऑटो गेराज प्रो. गोपाल लाल पुत्र श्री चन्दा लाल के नाम से आवंटन न्यास के पत्र दिनांक 04.12.2000 को जारी किया गया था। मूल आवंटी श्री गोपाल लाल की मृत्यु दिनांक 31.10.2011 को हो चुकी है। आवंटी द्वारा अपने जीवनकाल में श्री मुकेश गुप्ता के नाम वसीयत निष्पादित कर रखी थी। मृत्यु उपरांत आवंटी के विधिक वारिसान श्री मुकेश गुप्ता पुत्र श्री जमुना लाल गुप्ता द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र, वसीयतनामा, शपथ पत्र, आई.डी. व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर भूखंड संख्या 170 विश्वकर्मा नगर ऑटोमोबाईल विस्तार अपने नामहस्तान्तरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखण्ड/आवास संख्या 170 योजना विश्वकर्मा नगर ऑटोमोबाईल विस्तार का नाम हस्तान्तरण श्री मुकेश गुप्ता पुत्र श्री जमुना लाल गुप्ता के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपसचिव नगर विकास न्यास, कोटा

कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक:-एफ11/विक्रय/2022/10441 दिनांक:-20.12.22

नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना

नगर विकास न्यास कोटा द्वारा भूखंड संख्या 601 आनन्दपुरा आवासीय योजना में आवंटन पत्र क्रमांक 145 दिनांक 26.05.1986 को श्री सुरेश चन्द्र मेहता पुत्र श्री शिव चन्द्र मेहता के नाम आवंटन किया गया था। श्री सुरेश चन्द्र मेहता पुत्र श्री शिव चन्द्र मेहता द्वारा उक्त भूखंड का जर्ये मुख्तारआम श्री सुरेश चन्द पुत्र श्री राधेश्याम द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.05.2015 को श्री सतप्रीत सिंह पुत्र श्री सुखविन्दर सिंह एवं श्री जयपाल सिंह पुत्र श्री नायब सिंह बुल्लर को विक्रय कर दिया गया है। अतः श्री सतप्रीत सिंह पुत्र श्री सुखविन्दर सिंह एवं श्री जयपाल सिंह पुत्र श्री नायब सिंह बुल्लर उक्त भूखंड का स्वामित्व अपने नाम से नामहस्तान्तरण करने हेतु न्यास में आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखंड संख्या 601 आनन्दपुरा आवासीय योजना का नाम हस्तान्तरण श्री सतप्रीत सिंह पुत्र श्री सुखविन्दर सिंह एवं श्री जयपाल सिंह पुत्र श्री नायब सिंह बुल्लर के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपसचिव नगर विकास न्यास, कोटा

मैलोड़ी-2022 सांस्कृतिक सप्ताह में प्रतियोगिता आयोजित

कोटा, (निसं)। अकलंक महाविद्यालय में सांस्कृतिक सप्ताह 'मैलोडी-2022' के तृतीय दिवस सर्वप्रथम आशुभाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगियों ने समसामयिक विषयों जैसे: स्मार्ट सिटी, कोटा मोबाइल, सहशिक्षा, कॉलेज फ्रैंड्स, पर अपने विचार प्रकट किए। आशुभाषण प्रतियोगिता एक ऐसी कला है जो विद्यार्थियों को न केवल स्वयं सोचने में मदद करती है बल्कि उनके रचनात्मक विचारों को भी सटीक रूप में प्रस्तुत करने में सहायक होती है।

इस तरह की प्रतियोगिताओं से विद्यार्थियों में जहां आत्मविश्वास ब-सजग़ता है वहीं ये उन्हें बेहतर वक्ता बनने में भी मदद करती हैं। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. ललित कुमार शर्मा ने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि एक अच्छा वक्ता बनने के लिए एक अच्छा श्रोता होना आवश्यक है। उन्होंने सुनने और अवलोकन के अंतर को स्पष्ट करते हुए कहा कि सुनने में केवल एक ही इन्द्री सक्रिय होती है जबकि अवलोकन करने में पांचों इन्द्रियां सक्रिय होती हैं। निर्णायक मंडल ने प्रतियोगियों के आत्मविश्वास तथा प्रयास की भूरि-भूरि प्रशंसा की।

टेटू बनाओ प्रतियोगिता में प्रतियोगियों ने आकर्षक डिजाइन में टेटू बनाए। एक्सटेम्पोर में प्रथम स्थान महक गंगवानी ने तथा प्रार्थना पटेल ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। मेंहदी में दिया सोनी प्रथम तथा ज्योति मीणा द्वितीय रहीं। टेटू बनाओ प्रतियोगिता में मनीष कुशवाह प्रथम तथा आशीष गोस्वामी द्वितीय रहे। निर्णायक मंडल में डॉ. निधि ठक्कर, डॉ. प्राची बंसल, एडवोकेट अरूणा पाटनी, प्रवेश सोनी, डॉ. सुरभि गोयल तथा प्रीति जैन रही। कार्यक्रम का संचालन डॉ. तनु राजपाल ने किया।

सम्मेद शिखर संरक्षण की मांग को लेकर कोटा में जैन समाज का जन सैलाब सड़कों पर उतरा

कोटा, (निसं)। सम्मेद शिखर तीर्थ को पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा वापस लेने की मांग को लेकर कोटा का जैन समाज का जन सैलाब कोटा की सड़कों पर उमड़ा। रैली लगभग डेढ़ किमी लंबी थी जिसमे बड़ी तादात में महिलाएं भी शामिल हुई जो भजन गाते हुए, हाथों में तख्तियां लेकर चल रही थी। बाद में कलेक्ट्रेट चौराहे पर सभा की। जहां मुनि शुद्धसागर ने संबोधित किया।

सकल जैन समाज के लोगों का कहना है कि झारखंड की पूर्व सरकार की अनुशंसा पर भारत सरकार द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन के तहत सम्मेद शिखर तीर्थ को पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की है। इससे जैन समाज में आक्रोश है। सम्मेद शिखर जैनियों का तीर्थ है। जैनियों की पवित्र भावना है, वहां जूते चप्पल नहीं ले जाते, वहां खाना-पीना अलाव नहीं है। जब तक वंदना नहीं करते। इस तीर्थ से समाज के लोगों की पवित्र भावना जुड़ी हैं। उसको पर्यटन स्थल बनाने का विरोध करने आए हैं। हमारी मांग है कि सरकार पर्यटन स्थल घोषित करने की घोषणा को वापस लें और इसे निरस्त करें। यह तीर्थ जैनियों का है इसे जैनियों का ही रहने दें। हम किसी भी कीमत पर इसे पर्यटन स्थल घोषित नहीं होने देंगे हम अहिंसक जैन समाज है।

हिंसा पर उतरने मजबूर ना किया जाएं। जैन समाज के संतो और नेताओं ने सरकार को चेतावनी दी कि झारखंड सरकार ने कानून को रद्द नहीं किया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जैन समाज के नेता विमल जैन पंकज मेहता, अमित धारीवाल ने भी सरकार को चेतावनी दी कि जैन समाज के लोगों ने कलेक्ट्री चौराहे पर प्रदर्शन करने के बाद जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जापान सौंपा। ज्ञापन में लिखा की 'पारसनाथ पर्वतराज' को वन्य जीव अभ्यारण्य, पर्यावरण पर्यटन के लिए घोषित इको सेंसिटिव जोन के अन्तर्गत जोनल मास्टर प्लान व पर्यटन मास्टर प्लान, पर्यटन/धार्मिक पर्यटन सूची से बाहर किया जाएं। पर्वतराज को बिना जैन समाज की सहमति के इको सेंसिटिव के अन्तर्गत वन्य जीव अभ्यारण्य का एक भाग ओर तीर्थ माना जाता है लिखकर तीर्थराज की स्वतंत्र पहचान व पवित्रता 'पारसनाथ पर्वतराज' और मधुबन को मांस मंदिरा बिक्री मुक्त पवित्र 'जैन तीर्थस्थल घोषित किया जाए।

पर्वतराज की वन्दना मार्ग को अतिक्रमण, वाहन संचालन व अभक्ष्य सामग्री बिक्री मुक्त कर यात्री पंजीकरण, सामान जांच हेतु ब्ब्न्थ व स्कैनर, ब्ब्ज्ट कैमरे सहित दो चैक पोस्ट चिकित्सा सुविधा सहित बनाये जाऐ। पर्वतराज से पेड़ों को अवैध कटान, पत्थरों का अवैध खनन और महुआ के लिए आग लगाना प्रतिबंधित हो। नष्ट करने वाली झारखण्ड सरकार की अनुशंसा पर केन्द्र वन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचनार क्र. 2795 (ई) 02 अगस्त 2019 को अविलम्ब रद्द किया जायें। जैन तीर्थकरों और अनंतर संतों की मोक्षस्थल श्री सम्मेद शिखर जी 'पारसनाथ पर्वतराज', गिरिडिह (झारखण्ड) की स्वतंत्र पंचहान, पवित्रता और संरक्षण हेतु रविवार 11 दिसम्बर 2022 को विश्व जैन संगठन (पंजी) द्वारा आयोजित देशव्यापनी 'श्री सम्मेद शिखर जी बचाओ आन्दोलन' के समर्थन में विशाल सभा व रैली में निकाली गई।

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल वृत्त कोटा

क्रमांक: 3692 **जाहिर आम सूचना** दि. 21.12.2022

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री रोहित सिंघवी पुत्र श्री महाराज सिंह सिंघवी द्वारा नियमानुसार भूखण्ड संख्या 6-सी-23, रंगबाड़ी योजना के उपविभाजन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है जो कि विचाराधीन है। यदि किसी भी व्यक्ति/संस्था को इन भूखण्ड के उपविभाजन बाबत् आपत्ति हो तो निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष 7 दिवस के अन्दर-अन्दर अपनी आपत्ति हेतु समस्त दस्तावेज प्रस्तुत करें व कार्यालय मे आकर आवेदकों द्वारा प्रस्तुत मानचित्र को देख लेवें अन्यथा समयावधि गुजरने के बाद उपविभाजन की कार्यवाही की जावेगी तत्पश्चात् किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार नही किया जायेगा। तदनुसार सूचित हो।

क्र. सं.	आवेदक का नाम व पता	प्रस्तावित भूखण्ड का पता	प्रस्तावित भूखण्ड के पास की स्थिति	प्रस्तावित उपविभाजन
1.	श्री रोहित सिंघवी पुत्र श्री महाराज सिंह सिंघवी 6-ए-1 रंगबाड़ी योजना कोटा (राज.)	6-सी-23 (ए) 6-सी-23 (बी) रंगबाड़ी 189.60 वर्ग मी. 110.00 वर्ग मी. कुल 299.60 वर्ग मी.	उत्तर में - गली दक्षिण में - रोड़ पूर्व में - रोड़ पश्चिम में- रोड़	उपविभाजन

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल वृत्त कोटा

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक: LU2012/KOT/2022-23/100479 **लोक सूचना** दि. 21.12.2022

श्री YOGENDRA MEGHWAL पुत्र श्री FOOLCHAND MEGHWAL जाति MEGHWAL निवासी 229-C SHRINATHPURAM, KOTA ने इस कार्यालय मे नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	रंग तालाब उर्फ काला तालाब, लाडपुरा (कोटा)	RAMLAL S/O SHYORAM JAATI- LASHKARI, R/O RAMDEV MANDIR KEPASS, NAYAPURA, KOTA, RAJASTHAN	178	16000	1.6
				कुल	1.6

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियो को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारो के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव मे यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 21/12/2022 को जारी की गयी। **प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, कोटा**

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 3627 **जाहिर आम सूचना** दिनांक - 15.12.22

आवास संख्या 3-ए-9 दादाबाड़ी कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्री पूरनमल गुप्ता पुत्र श्री जगन्नाथ प्रसाद गुप्ता को किया गया था। इस आवास का पंजीयन श्री पूरनमल गुप्ता पुत्र श्री जगन्नाथ प्रसाद गुप्ता के नाम दिनांक 31.03.1999 को किया गया। श्री पूरणमल गुप्ता पुत्र श्री जगन्नाथ प्रसाद गुप्ता की मृत्यु दिनांक 09.12.2021 को हो चुकी है। इनकी मृत्यु उपरांत उनके समस्त वारिसानों अनिता गुप्ता पुत्री स्व. श्री पूरणमल गुप्ता, श्री दीपक गुप्ता पुत्र स्व. श्री पूरणमल गुप्ता, प्रीति गुप्ता पुत्री स्व. श्री पूरणमल गुप्ता पत्नी श्री पुष्कर पोरवाल एवं श्री अनिल गुप्ता पुत्र स्व. श्री पूरणमल गुप्ता द्वारा उक्त आवास में निहित अपने अविभाजित हिस्से का त्याग जरिये रिलीज डीड (त्याग पत्र) आलेखित कर दिनांक 10.11.2022 को अपनी माता श्रीमती विमला गुप्ता पत्नी स्व. श्री पूरणमल गुप्ता के पक्ष में किया गया। श्रीमती विमला गुप्ता पत्नी स्व. श्री पूरणमल गुप्ता द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन अपने नाम रिलीज डीड (त्याग पत्र) के आधार पर दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया।

अतः उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन रिलीज डीड (त्याग पत्र) के आधार पर श्रीमती विमला गुप्ता पत्नी स्व. श्री पूरणमल गुप्ता के नाम दर्ज करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन रिलीज डीड (त्याग पत्र) के आधार पर श्रीमती विमला गुप्ता पत्नी स्व. श्री पूरणमल गुप्ता का नाम दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन रिलीज डीड (त्याग पत्र) के आधार पर श्रीमती विमला गुप्ता पत्नी स्व. श्री पूरणमल गुप्ता के नाम मंडल अभिलेख में दर्ज कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 3690 **जाहिर आम सूचना** दिनांक - 21.12.22

आवास संख्या 10-बी-22 महावीर नगर पारिजात योजना कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्री राजीव कुमार केसरी को किया गया था। उक्त आवास का नियमितिकरण श्री दीप चन्द गुप्ता पुत्र श्री रामनारायण गुप्ता के पक्ष में करते हुए उक्त आवास का पंजीयन श्री दीप चन्द गुप्ता द्वारा उप पंजीयक कार्यालय में अपने पक्ष में दिनांक 03.03.1998 को करवा लिया गया। पंजीयन पश्चात श्री दीप चन्द गुप्ता की मृत्यु हो जाने के बाद उक्त आवास का हस्तांतरण मृत्यु प्रकरण में श्रीमती कृष्णा गुप्ता पत्नी स्व. दीप चन्द गुप्ता के नाम दिनांक 04.01.2005 को किया गया। श्रीमती कृष्णा गुप्ता पत्नी स्व. श्री दीप चन्द गुप्ता की मृत्यु दिनांक 15.04.2021 को हो जाने पर सभी वारिसान (1) श्रीमती लक्ष्मी गुप्ता (2) श्रीमती निर्मला गुप्ता (3) श्रीमती मधु गुप्ता (4) श्रीमती उषा गुप्ता पुत्री स्व. श्री दीप चन्द गुप्ता द्वारा उप पंजीयक कार्यालय में अपने दोनों सगे भाई श्री गिरिश गुप्ता एवं श्री विष्णु गुप्ता पुत्र स्व. श्री दीप चन्द गुप्ता के पक्ष में हक त्याग दिनांक 05.05.2022 को किया गया। हक त्याग के आधार पर उक्त आवास का हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन किये जाने हेतु इस कार्यालय में दिनांक 15.12.2022 को आवेदन किया गया है। उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन किये जाने में किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री गिरिश गुप्ता एवं श्री विष्णु गुप्ता पुत्र स्व. श्री दीप चन्द गुप्ता के नाम संयुक्त रुप से किये जाने में किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री गिरिश गुप्ता एवं श्री विष्णु गुप्ता पुत्र स्व. श्री दीप चन्द गुप्ता के नाम मृत्यु प्रकरण के अन्तर्गत हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 3489 **जाहिर आम सूचना** दिनांक - 01.12.22

आवास संख्या 10-K-1 महावीर नगर पारिजात योजना कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्री जगदीश कुमार पुत्र श्री प्रभुलाल को किया गया था। उक्त आवास का पंजीयन दिनांक 30.04.2013 को श्री जगदीश कुमार पुत्र श्री प्रभुलाल द्वारा उप पंजीयक द्वितीय कोटा में अपने पक्ष में करवाया गया। पंजीयन पश्चात दिनांक 30.04.2013 को श्री जगदीश कुमार पुत्र श्री प्रभुलाल द्वारा श्री सत्येन्द्र कौशल पुत्र श्री मांगीलाल कौशल को मुख्तार नामा आम घोषित किया गया। श्री सत्येन्द्र कौशल द्वारा मुख्तार आम धारक की हैसियत से दिनांक 06.10.2016 को जरिये विक्रय पत्र आलेखित श्री सत्येन्द्र कौशल पुत्र श्री मांगीलाल कौशल स्वयं के नाम उक्त आवास का विक्रय किया गया।

अतः उक्त आवास का हस्तान्तरण विक्रय पत्र के आधार पर श्री सत्येन्द्र कौशल पुत्र श्री मांगीलाल कौशल के नाम किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास का हस्तान्तरण मुख्तार आम धारक श्री सत्येन्द्र कौशल पुत्र श्री मांगीलाल कौशल के नाम दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास का हस्तान्तरण श्री सत्येन्द्र कौशल पुत्र श्री मांगीलाल कौशल का नाम दर्ज कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

'ग्रामीण किसान आर्थिक उन्नति के गुर सीखेंगे'

■ 'उन्नत कृषि को देखो' भ्रमण कार्यक्रम आयोजित

कोटा, (निसं)। धाकड़खेड़ी के 55 ग्रामीण उन्नति कृषि एवं सहकारी समितियों के माध्यम से मिलने वाले प्रोत्साहन को 5 जिलों में जाकर साझा करेंगे। तीन दिवसीय उन्नत कृषि को देखो भ्रमण कार्यक्रम के तहत गुरुवार सुबह 8.30 बजे सहकारी समिति धाकड़खेड़ी से रवाना होंगे।

समिति के अध्यक्ष मोहम्मद सलीम ने बताया कि जागृत ग्रामीणों के दल को शहर कांग्रेस अध्यक्ष रविंद्र त्यागी, पंचायत समिति लाडपुरा के प्रधान नईमुद्दीन गुड्डु एवं कांग्रेस नेता पंकज मेहता हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।

यात्रा बूंदी, चित्तौड़, उदयपुर, अजमेर टोंक होती हुई तीन दिवस में कोटा पहुँच कर संपन्न होगी। कल द्वारा इस दौरान ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थलों का भ्रमण किया जाएगा जिसमें खाटू श्याम जी, सांवरिया सेठ, अजमेर शरीफ एवं पुष्कर शामिल है। मोहम्मद सलीम ने बताया कि ग्रामीण कृषकों को उन्नत खेती व सहकारी समितियों से मिलने वाले प्रोत्साहन कि अधिक से अधिक जानकारी हो इसलिए उन्होंने अपने खर्चे पर उन्नत कृषि को देखो कार्यक्रम आयोजित किया है। इस दौरान मुख्य रूप से दीपक अजमेरा, घनश्याम कुशवाहा, ओम प्रकाश प्रजापति, राम लटूर मीणा, मुकेश गुर्जर सहित जागरूक ग्रामीण मुख्य रूप से हिस्सा ले रहे हैं।

'नदीपार क्षेत्र में चार साल में 500 करोड़ से अधिक के विकास कार्य हुए'

कोटा, (निसं)। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल की पहल पर कोटा में आधारभूत सुविधाओं सहित विकास के अन्य प्रोजेक्ट पूर्ण हो रहे है।

वहीं विकास कार्यों का सिलसिला जनमानस के अनुसार लगातार जारी है इसी कड़ी में बुधवार को नदी पार क्षेत्र की दर्जनों कॉलोनियों के निवासियों को आवागमन को लेकर एक और बड़ी सौगात दी है। नदी पार क्षेत्र के वार्ड नंबर 28 में सीसी रोड़ सहित सड़क के 4 करोड़ के कार्य शुरू किये गए। नगर विकास न्यास कोटा द्वारा करवाए जाने वाले इन कार्यों का शुभारंभ बुधवार को कांग्रेस नेता अमित धारीवाल ने विधिवत पूजा अर्चना के साथ किया।

कोटा के नदी पार क्षेत्र में समाजसेवी अमित धारीवाल ने विकास कार्यों का शुभारंभ किया है।

नदीपार क्षेत्र में नगर विकास न्यास पार्श्वनाथ प्लीजेंट से बजाज नगर रेलवे क्रॉसिंग तक सीसी सड़क, सुभाष नगर पंचवटी नगर में सीसी सड़क का निर्माण, रेलवे आरओबी से बजाज नगर तक सड़क कार्य के साथ पार्श्वनाथ रेजिडेंसी परवतीपुरम से हिम्मतनगर लाल एवं सड़क का निर्माण कार्य करवाये जायेंगे। विकास कार्यों के शुभारंभ के मौके पर कार्यक्रम में पहुंचते ही कांग्रेस नेता अमित धारीवाल का क्षेत्र के सोसायटी के पदाधिकारियों एवं क्षेत्रवासियों ने गर्मजोशी से स्वागत कर आभार जताया।

इस दौरान अमित धारीवाल ने कहा कि नदी पार क्षेत्र के वार्ड नंबर 28 में अब तक 22 करोड़ से अधिक के विकास कार्य करवाए जा चुके हैं आगे भी जनमानस के अनुसार विकास कार्यों में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी उन्होंने मौजूदा सरकार में नदी पार क्षेत्र में हुए 500 करोड़ से अधिक के कार्यों के बारे में भी क्षेत्रवासियों को जानकारी दी साथ ही सरकार द्वारा चलाई जा रही लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताते हुए कहा कि एक सकारात्मक सोच के साथ कर्तव्य निभाने का जुनून लेकर जनता के बीच आते हैं जनकल्याण के कार्यों को इस सर्वोपरि रखा जाता है क्षेत्र में जो भी विकास कार्यों की दरकार होगी उनको पूर्ण करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मेवा लाल गुर्जर पार्षद दीपक नगर मोहन मेघवाल, प्रतीक सैनी उपसचिव चंदन दुबे अधीक्षण अभियंता ओपी दुबे सहित क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ता एवं क्षेत्रवासी बड़ी संख्या में मौजूद रहे।

एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड

(ए शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक)

रजिस्टर्ड ऑफिस: 19-A, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड़, जयपुर-302001 (CIN:L36911RJ1996PLC011381)

परिशिष्ट IV (देखें नियम 8 (1) कब्जा सूचना)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (ए शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक) का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए ''वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 का सपठित नियमों के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में मांग सूचना पत्र दिनांक 12 मई 2022 को संदर्भ संख्या SME/SAR/13-2/MAY-22/08 ऋण खाता संख्या: 1921224424549526 निर्गमित की जिसमें माँग करते हुए ऋणी/सह-ऋणी/बंधककर्ता/जमानतदार मैसर्स श्री बालाजी ट्रेडिंग कम्पनी जरिए पार्टनर श्री महावीर मीणा व श्रीमती एखना (ऋणी), मैसर्स श्री बालाजी एग्रो सेल्स एण्ड सर्विस जरिए प्रोपराइटर श्री महावीर मीणा (जमानतदार), श्री महावीर मीणा पुत्र श्री घासी लाल मीणा (जमानतदार/ बंधककर्ता) श्रीमती एखना पत्नी श्री महावीर मीणा (जमानतदार) को नोटिस में वर्णित के लिए रूपये 31,85,537/- (इकत्तीस लाख पिच्यासी हजार पांच सौ सैंतीस मात्र) दिनांक 12 मई 2022 तक कुल देय (जिसमे शामिल मूलधन, ब्याज, पेनल्टी एवं अन्य शुल्क) सम्पूर्ण बकाया राशि के भुगतान तक भविष्य का ब्याज व शुल्क अतिरिक्त की राशि इस नोटिस की प्राप्ति की दिनांक से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिये कहा गया था।

ऋणी/बंधककर्ता के वह राशि लौटाने में विफल होने पर ऋणी/बंधककर्ता एवं समान्यजन को एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) तथा सपठित उक्त नियम 8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा 17 दिसम्बर 2022 को अधिग्रहण कर लिया है।

ऋणियों का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिये उपलब्ध समय के सन्दर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

ऋणी/सह ऋणी/बंधककर्ता को विशिष्टतया और सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद् द्वारा सम्पत्ति के साथ व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई व्यवहार में के लिए रूपये 34,89,895/- (चौतीस लाख नवासी हजार आठ सौ पिच्यानबे मात्र) दिनांक 16 दिसम्बर 2022 तक सम्पूर्ण बकाया राशि के भुगतान तक भविष्य का ब्याज व शुल्क अतिरिक्त की राशि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

स्थावर सम्पत्ति का विवरण

(1) संपत्ति के सभी अभिन्न अंग सम्पत्ति स्थित प्लॉट खसरा नं. 1479 पर, गांव अटरु, तहसील अटरु, बारां, राजस्थान क्षेत्रफल 3200.00 वर्ग फीट जो की श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री घासी लाल के स्वामित्व मे है।

पूर्व: शंकर लाल नागर का प्लॉट — पश्चिम: राजकीय नाला

उत्तर: पुष्प चन्द्र मेघवाल का खुला प्लॉट — दक्षिण: सलापुरा रोड

(2) संपत्ति के सभी अभिन्न अंग सम्पत्ति स्थित प्लॉट नं. 346, गांव अटरु, तहसील अटरु, बारां, राजस्थान क्षेत्रफल 4684.00 वर्ग फीट जो की श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री घासी लाल के स्वामित्व मे है।

पूर्व: राधेश्याम शर्मा का मकान — पश्चिम: राजकीय बिल्डिंग

उत्तर: मैन कस्बा रोड — दक्षिण: रोड

दिनांक: 17.12.2022 — प्राधिकृत अधिकारी

स्थान: अटरु (बारां) — एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड

(ए शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक)

रजिस्टर्ड ऑफिस: 19-A, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड़, जयपुर-302001 (CIN:L36911RJ1996PLC011381)

परिशिष्ट IV (देखें नियम 8 (1) कब्जा सूचना)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (ए शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक) का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए ''वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 का सपठित नियमों के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में मांग सूचना पत्र दिनांक 01 फरवरी 2022 को संदर्भ संख्या SME/SAR/13-2/FEB-22/05 ऋण खाता संख्या: 1921224424560849 निर्गमित की जिसमें माँग करते हुए ऋणी/सह-ऋणी/बंधककर्ता/जमानतदार मैसर्स श्री बालाजी एग्रो सेल्स एण्ड सर्विस जरिए प्रोपराइटर श्री महावीर मीणा (ऋणी), मैसर्स श्री बालाजी ट्रेडिंग कम्पनी जरिए पार्टनर श्री महावीर मीणा व श्रीमती एखना (जमानतदार), श्री महावीर मीणा पुत्र श्री घासी लाल मीणा (जमानतदार/ बंधककर्ता) श्रीमती एखना पत्नी श्री महावीर मीणा (जमानतदार) को नोटिस में वर्णित के लिए रूपये 29,04,804/- (उनतीस लाख चार हजार आठ सौ चार मात्र) दिनांक 01 फरवरी 2022 तक कुल देय (जिसमे शामिल मूलधन, ब्याज, पेनल्टी एवं अन्य शुल्क) सम्पूर्ण बकाया राशि के भुगतान तक भविष्य का ब्याज व शुल्क अतिरिक्त की राशि इस नोटिस की प्राप्ति की दिनांक से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिये कहा गया था।

ऋणी/बंधककर्ता के वह राशि लौटाने में विफल होने पर ऋणी/बंधककर्ता एवं समान्यजन को एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) तथा सपठित उक्त नियम 8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा 17 दिसम्बर 2022 को अधिग्रहण कर लिया है।

ऋणियों का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिये उपलब्ध समय के सन्दर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

ऋणी/सह ऋणी/बंधककर्ता को विशिष्टतया और सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद् द्वारा सम्पत्ति के साथ व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई व्यवहार में के लिए रूपये 31,10,865/- (इकत्तीस लाख दस हजार आठ सौ पैंसठ मात्र) दिनांक 16 दिसम्बर 2022 तक सम्पूर्ण बकाया राशि के भुगतान तक भविष्य का ब्याज व शुल्क अतिरिक्त की राशि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

स्थावर सम्पत्ति का विवरण

(1) संपत्ति के सभी अभिन्न अंग सम्पत्ति स्थित प्लॉट खसरा नं. 1479 पर, गांव अटरु, तहसील अटरु, बारां, राजस्थान क्षेत्रफल 3200.00 वर्ग फीट जो की श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री घासी लाल के स्वामित्व मे है।

पूर्व: शंकर लाल नागर का प्लॉट — पश्चिम: राजकीय नाला

उत्तर: पुष्प चन्द्र मेघवाल का खुला प्लॉट — दक्षिण: सलापुरा रोड

(2) संपत्ति के सभी अभिन्न अंग सम्पत्ति स्थित प्लॉट नं. 346, गांव अटरु, तहसील अटरु, बारां, राजस्थान क्षेत्रफल 4684.00 वर्ग फीट जो की श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री घासी लाल के स्वामित्व मे है।

पूर्व: राधेश्याम शर्मा का मकान — पश्चिम: राजकीय बिल्डिंग

उत्तर: मैन कस्बा रोड — दक्षिण: रोड

दिनांक: 17.12.2022 — प्राधिकृत अधिकारी

स्थान: अटरु (बारां) — एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

सम्मेद शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने का विरोध जताया

कोटा, (निसं)। कर्मयोगी रावण सरकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजाराम जैन कर्मयोगी रावण सरकार तथा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भवानीमंडी लंकेश दिनेश दिलवाला के द्वारा बुधवार को जिला कलेक्टर कोटा के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस पहले जैन समाज द्वारा विरोध स्वरूप निकाली गई रैली को कर्मयोगी रावण सरकार द्वारा समर्थन दिया गया।

कर्मयोगी ने सेवन वंडर्स से ही रथ पर सवार होकर रैली में भाग लिया। उनके साथ में अर्धांगिनी अंतर्राष्ट्रीय लोक कलाकार अलका दुलारी जैन कर्मयोगी भी मंदोदरी की भूमिका में उपस्थित रहीं। साथ ही, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भवानीमंडी लंकेश दिनेश दिलवाला अपनी अर्धांगिनी सहित रैली में भाग लेकर कलेक्ट्री पहुंचे। यहां पहुंचकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन प्रस्तुत किया गया।

इस अवसर पर जिला कलेक्टर ओपी बुनकर ने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार कोटा की धरती पर कलाकार लंकाधिपति लंकेश परिवार ने जैन समाज के साथ खड़े होकर ज्ञापन प्रस्तुत किया है। हम आपकी भावनाओं का सम्मान रखते हुए इसे प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे।

ज्ञापन में राजाराम जैन कर्मयोगी ने कहा कि पवित्र तीर्थ स्थल सम्मेद शिखर जी को केंद्र एवं झारखंड राज्य सरकार द्वारा पर्यटन स्थल बनाए जाने की अदूरदर्शिता पूर्ण अधिसूचना जारी की गई है। जिसके बाद विश्वव्यापी जैन धर्म अनुयायियों की आस्था को भारी आघात पहुंचा है। यह अविवेकपूर्ण सोच हैं। जिसका विरोध किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि शाश्वत निर्वाण भूमि श्री सम्मेद शिखरजी का कण-कण परम पावन एवं पूजनीय है। जैन तीर्थंकर इसी भूमि पर परम सिद्ध बने और भविष्य में भी बनते रहेंगे।

विश्वव्यापी जैन श्रद्धालु पर्वतराज पर चढ़ने से पहले स्नान कर पवित्र वस्त्र पहन कर नंगे पैर पर्वत की धूली अपने मस्तक पर लगाकर पर्वत की वंदना करते हैं।

एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (ए शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक)

रजिस्टर्ड ऑफिस: 19-A, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड़, जयपुर-302001 (CIN:L36911RJ1996PLC011381)

सिक्युरिटाईजेशन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अन्तर्गत मांग सूचना पत्र

अधोहस्ताक्षरकर्ता एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी है। ''वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की''धारा 13(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी ने ऋण खातों के गैर निष्पादनीय आस्तियों (एन.पी.ए.) होने पर नीचे दी गई तालिका के अनुसार ऋणीयों/सह-ऋणीयों/ गारण्टर बंधककर्ताओं (जिन्हें आगे ऋणी/ऋणीयों के नाम से सम्बोधित किया जायेगा) को 60 दिनों के नोटिस प्रेषित किये थे, नोटिस के अनुसार यदि ऋणी 60 दिनों के भीतर सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नही करवाते है तो प्राधिकृत अधिकारी प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में अधिनियम की धारा 13 उपधारा 4 व 14 के अन्तर्गत कदम उठाने हेतु स्वतंत्र होगा। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उसे प्रतिभूत आस्तियों का कब्जा लेने की शक्ति तथा उनका विक्रय करना सम्मिलित है। अतः आप ऋणीयों को यह सूचित किया जाता है कि निम्न सूची में दी गई सम्पूर्ण बकाया ऋण राशि भविष्य के ब्याज तथा खर्चों एवं लागतों इत्यादि के साथ 60 दिवस के भीतर जमा करवा दें। इसके अतिरिक्त आप ऋणीयों को यह सूचित किया जाता है कि उपरोक्त 13(13) में निर्दिष्ट सूचना की प्राप्ति के पश्चात प्रतिभूत लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना सूचना में निर्दिष्ट अपनी किन्ही प्रतिभूत आस्तियों को विक्रय द्वारा या पट्टे द्वारा अथवा किसी माध्यम से अन्तरित नहीं करेंगे। ऋणीयों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 13(8) सपठित नियम 3 (5) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अनुसार ऋणी अपनी बंधक सम्पत्ति को उसके द्वारा उपगत सभी खर्चो प्रभारों और व्ययों के सहित प्रतिभूत लेनदार द्वारा विक्रय या अन्तरण के लिये नीलामी सूचना के प्रकाशन से पूर्व किसी भी समय भुगतान करके मुक्त करवा सकते है।

ऋण खाता संख्या / ऋणी/सहऋणी/ बन्धकर्ता/गारन्टर का नाम	धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस की दिनांक व राशि	बंधक सम्पत्ति का विवरण
(खाता सं.) L9001060116576201 देवकरण मीणा (ऋणी), बंशी लाल (सह-ऋणी), श्रीमती रचना देवी (सह-ऋणी)	7 दिसम्बर 2022 ₹ 507358/- रु. पांच लाख सात हजार तीन सौ अठावन मात्र दिनांक 6 दिसम्बर 2022 तक	सम्पत्ति स्थित प्लॉट बंशी लाल ग्राम गुरडिया झाला, जिला - झालावाड़, राजस्थान, 326501 क्षेत्रफल 660 वर्ग फीट
(खाता सं.) L9001060118067034 & L9001060821609656 बद्री लाल (ऋणी), श्रीमती सुगना बाई (सह-ऋणी)	7 दिसम्बर 2022 ₹ 480066/- रु. चार लाख अस्सी हजार छियासठ मात्र व ₹ 521067/- रु. पांच लाख इक्कीस हजार सड़सठ मात्र दिनांक 6 दिसम्बर 2022 तक	सम्पत्ति स्थित नगरपालिका वृंदा विहार कॉलोनी प्लॉट नं. 24, भूमि का हिस्सा खसरा नं. 769, दीन बंधू कॉलोनी छत्रपुरा, जिला-बूंदी, राजस्थान, 326501 क्षेत्रफल 111.11 वर्ग गज
(खाता सं.) L9001070222259919 ओम प्रकाश (ऋणी), श्रीमती मीणा कुमारी (सह-ऋणी)	7 दिसम्बर 2022 ₹ 518095/- रु. पांच लाख अठारह हजार पिच्यानबे मात्र दिनांक 6 दिसम्बर 2022 तक	सम्पत्ति स्थित ग्राम पंचायत पट्टा नं. 30848, खसरा नं. 1762, गांव - कोटरादीपसिंह, जिला-कोटा, राजस्थान क्षेत्रफल 1520 वर्ग फीट

स्थान: कोटा — दिनांक: 21-12-2022 — प्राधिकृत अधिकारी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड